



फर्य आहकाम

21/12/22
 बनाव नाम *पद्मवती देवी*

उपखण्ड अधिकारी
 जोबनेर, जयपुर

म न्यायालय
 संख्या 214/22

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरयुत रूप से	दिनांक विकल्प
	6/1/24	<p>पद्मवती देवी के लिये न्युनतम कर्मिका (प) के पद के लिए जायज के पद्मवती देवी के 21/10/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>	
25/10/24		<p>पद्मवती पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हो।</p>	
20.12.24		<p>पद्मवती पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण को आज्ञा-सामान्य में प्रथम प्रथम समय पर तीन दिन का भावाजे लगवाती गयी। भावाजे लगवाने के उपरांत श्री वादीगण के न्यायालय में दायर नहीं करने के कारण पद्मवती अन्तर्गत आरेख-1 क्रम-3 के तहत अद्यतन दायरी व अद्यतन पत्रों में दायर नहीं जाती है। पद्मवती को लक्ष्य नुमांश नंबर ले नाम लेना आवश्यक है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>	